



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 8, 2019 (PHALGUNA 17, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 मार्च, 2019

**संख्या 33/जीएसटी-2.** चूंकि, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 31 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन यह उपबंध किया गया है कि कोई पंजीकृत व्यक्ति जो छूट प्राप्त माल या सेवा या दोनों का प्रदाय कर रहा हो या धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का भुगतान कर रहा हो, कर बीजक के बदले प्रदाय का बिल जारी करेगा और इसलिए कोई व्यक्ति जो उक्त खण्ड के दायरे में नहीं आता है को, कर बीजक जारी करना होगा;

इसलिए, अब, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, कठिनाइयों के निवारण के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम — यह आदेश हरियाणा माल और सेवा कर (कठिनाइयों का तृतीय निवारण) आदेश, 2019, कहा जा सकता है।
2. कठिनाइयों के निवारण के लिए, इसके द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 32/जीएसटी-2, दिनांक 08 मार्च, 2019 के अधीन कर का भुगतान कर रहा हो।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT****EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 8th March, 2019

**No. 33/GST-2.**— Whereas, clause (c) of Sub-section (3) of Section-31 the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) provides that a registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of section 10 shall issue, instead of a tax invoice, a bill of supply, and therefore any person not covered by the said clause has to issue a tax invoice;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 172 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Haryana Goods and Services Tax (Third Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that provisions of clause (c) of sub-section (3) of Section 31 of the said Act shall apply to a person paying tax under Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.32/GST-2, dated 08.03.2019.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.